

निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 169/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डो स्टार कंपिटल फाईनेन्स लिमिटेड, वन इण्डियाबुक्स सेन्टर, 20^{वां}, फ्लोर, टॉवर 2-ए, जूपिटर
मिल्स कंपाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुमन प्रताप अग्रवाल पुत्र श्री माणक चंद अग्रवाल,
पता:- 85,86, संजय नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
एवं 21-22, लक्ष्मी नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. मैसर्स ए.आर. वायर्स जरिये प्रोपराईटर श्री सुमन प्रताप अग्रवाल,
पता:- 135, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर।
3. श्रीमती उमा देवी अग्रवाल पत्नी श्री माणक चंद अग्रवाल,
पता:- 85,86,87, संजय नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
4. श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी श्री सुमन प्रताप अग्रवाल,
5. श्री माणक चंद अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल मूणका,
पता:- 85,86, संजय नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. मैसर्स रुद्रांश वायर जरिये प्रोपराईटर श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी श्री एस. पी. अग्रवाल,
पता:- 21-22, लक्ष्मी नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक: 14.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 24.07.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती उमा अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 85, संजय नगर, निवारु रोड झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 350 वर्गगज, 2. प्लॉट नं. 86, संजय नगर, निवारु रोड झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 254.17 वर्गगज, 3. प्लॉट नं. 87, संजय नगर, निवारु रोड झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 234.30 वर्गगज एवं श्री सुमन प्रताप अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 21-22, लक्ष्मी नगर, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 332.51 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 03,03,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 27 अगस्त 2018 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 03,03,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 03,68,93,268/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती उमा अग्रवाल के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1. प्लॉट नं. 85, संजय नगर, निवारू रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 350 वर्गगज, 2. प्लॉट नं. 86, संजय नगर, निवारू रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 254.17 वर्गगज, 3. प्लॉट नं. 87, संजय नगर, निवारू रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 234.30 वर्गगज एवं श्री सुमन प्रताप अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 21-22, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 332.51 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



540
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर